जनता के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी समझ गए हैं कि गांधी परिवार के काम चलाऊ नेतृत्व से पार्टी का काम नहीं चलेगा। देश की आजादी के दिन कई नेताओं ने पा लिखकर कांग्रेस अध्यक्ष पद को'गांधी परिवारसे आजाद करने की मांग की हैं..।— डा. रमन सिंह, पूर्व सीएम

यह सोचकर आश्चर्य होता हैं कि ये लोग (केंद्र) देश एकता को खंडित करने के लिए काम कर रहे हैं।—— शशि थरूर, सांसद, कांग्रेस

नई दिल्ली। सोमवार ● 24 अगस्त ● 2020 | राष्ट्रीय सहारा | www.rashtriyasahara.com

रविवार को ऑनलाक-3 के दौरान रायसीना हिल पर साइकिल चलाते युवा। फोटो : प्रेट्र

निर्माण मजदूरों को रजिस्ट्रेशन कराने का फिर मौका

दिल्ली सरकार 24 अगस्त से 11 सितंबर तक निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान चलाएगी

सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में निर्माण से संबंधित मजदूरों के पंजीकरण के लिए 70 स्कूलों में कैंप स्थापित किया गया

घर बैठे भी ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं मजदूर

18 से 60 वर्ष आयु के लोग ही पंजीकरण करा सकते हैं

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली सरकार ने दिल्ली बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड के तहत पंजीकरण कराने से वंचित रह गए निर्माण मजदूरों का पंजीकरण कराने के लिए पंद्रह दिवसीय अभियान चलाने का निर्णय लिया है। निर्माण मजदूर 24 अगस्त से 11 सितंबर तक चलने वाले निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान के दौरान अपना पंजीकरण करा सकते हैं। साथ ही, घर बैठे भी ऑनलाइन अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस विषय पर रविवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रम मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इसके लिए सभी सत्तर विधानसभा क्षेत्रों में कैंप स्थापित किया गया है। अभियान को गति देने के लिए सभी सत्तर विधायकों, संबंधित यूनियन और एजेंसियों को विस्तृत जानकारी दी गई है, ताकि वे भी अपने क्षेत्र के निर्माण मजदूरों को संबंधित कैंप में ले जाकर पंजीकरण करा सकें। अठारह से साठ वर्ष आयु के बीच के लोग ही पंजीकरण करा सकते हैं। इस दौरान उनके पास 90 दिन काम करने का प्रमाण पत्र, फोटो, स्थानीय आईडी प्रमाण, बैंक खाता संख्या और आधार कार्ड होना जरूरी है। पंजीकृत मजदूर बोर्ड के तहत संचालित 18 तरह की योजनाओं लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

गोपाल राय ने कहा कि निर्माण से संबंधित मजदूरों को दिल्ली बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड के माध्यम से जो सहायता मिलती है। जिसमें यदि मजूदर के बेटे-बेटी की शादी है, तो उनको बेटे की शादी के लिए 35 हजार रुपये और लड़कियों की शादी के लिए 51 हजार रुपये दिए जाते है। उनके बच्चों की शिक्षा के लिए 500 रुपये दी जाती है और यदि कोई प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई कर रहा है, तो उसको 10 हजार रु पये प्रतिमाह की सहायता राशि दी जाती है। स्वास्थ्य व प्रसूति लाभ के लिए 30 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिलती है और वृद्धा अवस्था पेंशन के रूप में 3 हजार रु पये प्रतिमाह दी जाती है। यदि किसी की दुर्घटना में मौत होती है, तो उसके परिवार को 2 लाख रु पये आर्थिक मुआवजा दिया जाता है। यदि किसी की प्राकृतिक मौत होती है, तो उसको एक लाख रुपये दिया जाता है।

गोपाल राय ने कहा कि यह जो पंजीकरण कराया जा रहा है, वह निर्माण से संबंधित जो मजदूर हैं और उस क्षेत्र में काम कर रहे है, वही लोग इसमें फार्म भर सकते हैं। इसके तहत बढ़ई, बार बाइंडर, बेलदार, कुली, मजदूर, जो निर्माण साइट या मकान/घर बनाने में काम करते है।

निर्माण साइट पर तैनात चौकीदार, कंक्रीट मिश्रण करने वाले, क्रेन ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, फीटरमैन, लोहार, सफेदी करने वाले पैटर, प्लंबर, पीओपी लेबर, पंप ऑपरेटर, राजमिस्त्री, शटरिंग करने वाले, टाइल्स स्टोन फीटर और वेल्डर क्षेत्र के कर्मचारी इसके तहत अपना फार्म भर कर पंजीकरण करा सकते हैं। कैंप में हम पंजीकरण और सत्यापन की सुविधा दे रहे हैं।

सुरक्षित है जूम का इस्तेमाल : कैट

व्यापारी संगठन कैट ने फिर से शुरू किया जूम का इस्तेमाल

नई दिल्ली (एसएनबी)। व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने फिर से जूम टेकनोलॉजी का इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की है।

गौरतलब है कि जूम में चीन का दखल होने की खबर के बाद कैट ने इसका इस्तेमाल बंद कर दिया था। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया एवं महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि कैट द्वारा जूम का इस्तेमाल बंद करने की घोषणा के बाद जूम के भारत के प्रबंध निदेशक समीर राजे ने कैट से सम्पर्क किया और जूम को लेकर उनकी आशंकाओं के बारे में सफाई दी। जूम द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के मुताबिक जूम पर किसी भी प्रकार से चीन का प्रभाव न होने तथा डाटा की सुरक्षा की पुष्टि के बाद कैट ने जूम का इस्तेमाल दोबारा शुरू किया।

उन्होंने कहा कि मामले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी कहा है कि जूम का अत्याधुनिक 5.0 संस्करण सुरक्षित है और डाटा की गोपनीयता भंग होने की कोई आशंका नहीं है। भरतिया एवं खंडेलवाल ने कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर कहा जा सकता है की जूम एक अमरीकी कम्पनी है जो अमरीका में पंजीकृत है और चीन का इस पर कोई प्रभाव नही है।

50 किलो का ट्यूमर निकाल डॉक्टरों ने बचाई महिला की जान

52 वर्षीय महिला का वजन सर्जरी से पहले था 106 किलो सर्जरी के बाद हुआ 56 किलो

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।

इन्द्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के डाक्टरों ने दुनिया के संभवतः सबसे बड़े ओवेरियन (अंडाश्य ग्रंथि) ट्यूमर से पीड़ित एक महिला (52) की सफल सर्जरी की है। सांस लेने में तकलीफ, पेट के निचले हिस्से में दर्द, चलने, सोने में परेशानी की शिकायत पर इस 106 किलो वजनी महिला को यहां भर्ती किया गया। अस्पताल के सर्जिकल गैस्ट्रोएंटोलॉजी एंड बेरियाट्रिक सर्जन के प्रमुख डा. अरूण प्रसाद के नेतृत्व में डाक्टरों की टीम ने सर्जरी कर 50 किलोग्राम का ट्यूमर निकाल। सर्जरी केबाद उसका वजन 56 किलो दर्ज किया गया। साढ़े तीन घंटे तक चली सर्जरी में शामिल डा. अभिषेक तिवारी, डा. गीता चड्ढा, डा. जया जार्ज ने इस सर्जरी को चुनौती पूर्ण सर्जरी बताया। डा. प्रसाद के अनुसार जांच में ओवरी में एक बहुत बड़ा ट्यूमर का पता चला जो तेजी से बढ़ रहा था। जिसके चलते उनकी आंतों पर दबाव पड़ रहा था और पेट को खाना पचाने में मुश्किल हो रही थी। मरीज का हीमोग्लोबिन भी गिर कर 6 पर आ गया और उन्हें एनीमिया हो गया। उन्होंने दावा किया कि उनके सर्जन के रूप में अपने 30 सालों के अनुभव के दौरान मैंने कभी इतना बड़ा ट्युमर नहीं देखा, ट्युमर का साइज मरीज के शरीर से आधे वजन का था। इसी तरह का एक मामला 2017 में कोयम्बटूर में दर्ज किया गया था, जब उनकी ओवरी से 34 किलोग्राम का ट्यूमर निकाला गया था।

क्षमायाचना के लिए रखा उपवास

नई दिल्ली (एसएनबी)। जैनों के आध्यात्मिक महापर्व पर्यूषण के अवसर पर जैनों ने क्षमायाचना के लिए उपवास रखा। जैन महासभा दिल्ली के महासचिव प्रो. रतन जैन ने कहा कि मैत्री व क्षमायाचना के लिए जैनों ने आज उपवास रखा।

इस अवसर पर जैन समाज के सदस्यों ने गत वर्ष में जाने अनजाने में हुई अपनी भूल व गलतियों के लिए प्राश्चित कर क्षमायाचना की। रतन जैन ने कहा कि विवाद समाज में कलह पैदा करती है, जबकि संवाद समस्सता को लाता है। यह महापर्व इसी सहिष्णुता व संवाद के प्रति समर्पित होने का अवसर है। इस अवसर पर जैन समाज जीव दया के लिए एवं जरूरतमंद की सहायता के लिए विशेष दान करता है।

जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड

सीआईएन: L74899UP1995PLC043677

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट 1ए, सेक्टर 16ए, नोएडा–201301, उ.प्र.

कॉरपोरेट कार्यालय: डवीं मंज़िल, टॉवर डी, लीजिक्स टैक्नो पार्क, सेक्टर–127, नोएडा–201304, उ.प्र.

फोन: +91-120-4090500, फैक्स: +91-120-4090599

वेबसाइट: www.jubilantfoodworks.com, ईमेल: investor@jubilfood.com

25वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना एवं ई–वोटिंग की जानकारी

एतद्वारा **सूचना** दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों एवं तदधीन विरचित नियमों तथा सेबी (लिस्टिंग के दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र सख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 के साथ पठित परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 तथा परिपत्र सख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 ("एमसीए परिपत्रों") तथा सेबी परिपत्र सख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 ("सेबी परिपत्र") (एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्र सामूहिक रूप से "परिपत्रों" कहे गए हैं) के अनुपालन में, **जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड** ("कम्पनी") के सदस्यों की **पच्चीसवीं (25वीं) वार्षिक आम बैठक** ("एजीएम"), **मंगलवार, 15 सितम्बर, 2020 को पूर्वा. 11.00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम")** सुविधा के माध्यम से, बैठक में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना, वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट ("वार्षिक रिपोर्ट") के साथ कम्पनी के उन सभी सदस्यों को ई–मेल द्वारा भेजी जा चुकी है, जिनकी ई–मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स के पास पंजीकृत है। सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना ई–मेल करने का कार्य 22 अगस्त, 2020 को पूरा किया जा चुका है। उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार सदस्यों को एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित सदस्यों की गणना, अधिनियम की धारा 103 के तहत गणपूर्ति के लिए की जाएगी।

सदस्यगण, जिनकी ई–मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरीज के पास पहले से पंजीकृत हैं, वे रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम में ई–वोटिंग के लिए एजीएम सूचना में उपलब्ध कराए गए अनुदेशों का पालन कर सकते हैं। सदस्यगण, जिनकी ई–मेल आईडी कम्पनी/ डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंट के पास पंजीकृत नहीं हैं, वे कम्पनी से वार्षिक रिपोर्ट, सूचनाएं इत्यादि सहित सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त करने के लिए अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत अथवा अद्यतन कराने हेतु निम्न प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। ई–मेल आईडी का सफल पंजीकरण होने पर, ई–वोटिंग के लिए लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड सदस्य की पंजीकृत ई–मेल आईडी पर भेजा जाएगा :

1. डीमैट धारण : सदस्य, जो कम्पनी के इक्विटी शेयर डीमैट रूप में धारण किए हुए हैं तथा जिनके द्वारा अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं करवाई गई है, लिंक : https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html पर क्लिक करके तथा उसमें दी गई पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करके कम्पनी के आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. के पास अपनी ई–मेल आईडी अस्थायी रूप से पंजीकृत करवा सकते हैं। किसी संदेह की स्थिति में, सदस्य लिंक इनटाइम को rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर ई–मेल भेज सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि डीमैट खाते में ई–मेल आईडी तथा बैंक विवरण के स्थायी पंजीकरण के लिए अपनी ई–मेल आईडी डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट ("डीपी") से सम्पर्क करें और डीपी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया का पालन करें।
2. भौतिक धारण : सदस्य, जो कम्पनी के इक्विटी शेयर भौतिक रूप में धारण किए हुए हैं तथा जिनके द्वारा अपनी ई–मेल आईडी तथा/अथवा बैंक विवरण पंजीकृत नहीं करवाया गया है, लिंक : https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html पर क्लिक करके तथा उसमें दी गई पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करके कम्पनी के आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. के पास अपना विवरण पंजीकृत करवा सकते हैं। किसी संदेह की स्थिति में, सदस्य लिंक इनटाइम को rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर ई–मेल भेज सकता है।

कम्पनी अपने सदस्यों को एजीएम में निष्पादन हेतु प्रस्तावित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग सुविधा तथा एजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है तथा उक्त सुविधा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। एजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा एजीएम में उपस्थित उन सदस्यों को वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी, जिनके द्वारा प्रस्तावों पर अपना वोट रिमोट ई–वोटिंग द्वारा नहीं डाला गया हो। जो सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चुके हैं, वे भी एजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं/भाग ले सकते हैं, परंतु उनको दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। डीमैटीरियलाइज्ड रूप, भौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्यों अथवा उन सदस्यों, जिनके द्वारा अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं करवाया गया है, के लिए रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम में ई–वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया और विधि एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराई गई है। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :

1. 25वीं एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय का निष्पादन ई–वोटिंग के रूप में इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के माध्यम से किया जाएगा।
2. रिमोट ई–वोटिंग अवधि शनिवार 12 सितम्बर, 2020 (प्रात: 9.00 बजे (भा.मा.स.)) आरंभ होगी तथा सोमवार, 14 सितम्बर, 2020 (अप. 5.00 बजे (भा.मा.स.)) समाप्त होगी। लाइसेंस एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग निष्क्रिय कर दी जाएगी तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद सदस्य को उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।
3. कोई व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों की पंजिका अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों की पंजिका में कट–ऑफ तिथि अर्थात मंगलवार, 8 सितम्बर, 2020 को दर्ज होगा, केवल वही रिमोट ई–वोटिंग/एजीएम में ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का हकदार होगा।
4. कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना भेजी जा चुकी होने के बाद कम्पनी के शेयर अर्जित करता है और कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट–ऑफ तिथि अर्थात मंगलवार, 8 सितम्बर, 2020 को शेयरों का धारक है, वह evoting@nsdl.co.in अथवा investor@jubilfood.com को अपने फोलियो नंबर/डीपी आईडी तथा क्लाइंट आईडी के उल्लेखपूर्वक ई–मेल भेजकर लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत है, तो विद्यमान यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है।
5. एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.jubilantfoodworks.com, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com से डाउनलोड की जा सकती है।
6. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने तथा ई–वोटिंग के साथ संबंधित विस्तृत अनुदेशों के लिए, सदस्यगण 25वीं एजीएम की सूचना देखें।

सदस्यगण, जिनको एजीएम के पूर्व या दौरान, ई–वोटिंग हेतु सुविधा के संबंध में किसी शिकायत हेतु सहायता की जरूरत है, सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक अथवा सुश्री सोनी सिंह, सहायक प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चतुर्थ तल, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई–400013 से नामित ई–मेल आईडी– evoting@nsdl.co.in अथवा pallavid@nsdl.co.in अथवा SoniS@nsdl.co.in अथवा फोन नंबर : +91–22 24994545, +91 22 24994559 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ई–वोटिंग के परिणाम, संवीक्षक की रिपोर्ट सहित कम्पनी की वेबसाइट www.jubilantfoodworks.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे। साथ ही कम्पनी उक्त परिणाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेड को अग्रसारित करेगी, जहां कम्पनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।

कृते **जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड**

हस्ता/–

मोना अग्रवाल

कम्पनी सचिव

दिनांक: 22 अगस्त, 2020

स्थान: नोएडा (उ.प्र.)

शिक्षकों की नियुक्ति न होने पर कोर्ट ने चयन बोर्ड से मांगा जवाब

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि उपराज्यपाल ने नगर निगम के स्कूलों में स्पेशल शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उम्र में छूट दी है। डीएसएसएसबी ने हाईकोर्ट को बताया कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने कहा है कि उपराज्यपाल ने सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीटीईटी) के लिए एक बार की छूट दी है, जिन्होंने नियुक्ति से पहले लेकिन कट-ऑफ की तारीख के बाद इसे प्राप्त किया था। इसके अलावा उपराज्यपाल ने 10 साल की उम्र में छूट दी है, भले ही वे स्पेशल शिक्षक (प्राथमिक) के पद के लिए तय आयु सीमा से अधिक क्यों न हो गए हों। सुनवाई के दौरान डीएसएसएसबी के वकील ने कहा कि पहले ही रिजल्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है और एसडीएमसी को भेज दिया है। बोर्ड रिजल्ट जारी करने और उपराज्यपाल द्वारा दी गई आयु सीमा छूट के साथ आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने इस मुद्दे स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के लिए डीएसएसएसबी को एक सप्ताह का समय दिया और एसडीएमसी के वकील को आगे के निर्देश मांगने और स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। इस मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। याचिकाकर्ता एनजीओ सोशल ज्यूरिस्ट की ओर से पेश वकील ने कहा था कि दिल्ली शिक्षा निदेशालय और नगर निगम में विशेष शिक्षकों के पद 10 साल पहले हाईकोर्ट के के फैसले के अनुसार सृजित किए गए थे, लेकिन अधिकारी रिक्तियों को भरने में विफल रहे।

सरकार का आदेश बेअसर स्कूल वसूल रहे लेट फीस

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली सरकार दावे कर रही है कि कोरोना काल में अभिभावकों पर फीस वसूलने का दबाव नही बनाएंगे। लेकिन इस संबंध में सरकार की ओर से जारी सर्कुलर और आदेशों का स्कूलों पर कोई असर होता नही दिख रहा। स्कूल न सिर्फ फीस वसूल रहे है बल्कि अभिभावकों से विलंब शुल्क लिया जा रहा है। मामला दिल्ली के शाहदरा में स्थित लिटिल फ्लावर इंटरनेशनल स्कूल का है। स्कूल में जुलाई में ही अभिभावकों से प्रति छात्र 151 रुपया विलंब शुल्क वसूला गया। अभिभावक मोहित गुप्ता और मनीष गुप्ता ने भुगतान की स्लिप दिखाते हुए बताया कि 20 जुलाई को ही उनसे स्कूल ने उनसे ट्यूशन फ्री के साथ 151 रुपए की लेट फीस भी वसूली थी। गुप्ता का कहना है कि उन्होंने विलंब शुल्क देने से पहले सरकारी आदेशों का हवाला दिया लेकिन स्कूल प्रशासन ने उनकी एक न सुनी। इसी तरह अन्य कई अभिभावकों से भी विलंब शुल्क वसूला गया है।

एमफिल के छात्रों को नहीं मिल रही फेलोशिप की राशि

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में पढ़ रहे एमफिल के 2019 - 2021 बैच के छात्रों को अपनी फेलोशिप की राशि बीते साल से नहीं मिल रही।

छात्रों का कहना है कि दिसम्बर से फरवरी तक उनसे कई बार दस्तावेज मांगे गए और उन्होंने हर बार दस्तावेज जमा कराए। लॉकडाउन के दौरान सभी दस्तावेज ऑनलाइन मांगे गए। लेकिन अब तक न तो फेलोशिप राशि मिली न ही कोई जवाब मिल रहा। एनएसयूआई के सदस्य वैभव यादव ने कहा कि संगठन छात्रों के साथ है और डीयू की वित्त शाखा व हिस्ट्री डिपार्टमेंट से मांग करती है कि छात्रों का उत्पीड़न बंद कर उनको उनका हक दिया जाए।

नेशनल अकाली दल जल्द ही करेगा खेलकूद सेल की शुरुआत

नई दिल्ली (एसएनबी)। पश्चिमी दिल्ली के टैगोर गार्डन में प्रीत स्नेह फाउंडेशन की फाउंडर व नेशनल अकाली दल महिला विंग की प्रदेश सचिव प्रीति कौर की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने कहा कि नेशलन अकाली दल खेलकूद सेल जल्द ही शुरू करेगा। उन्होंने बताया यह सेल बच्चों को पार्कों में अलग-अलग खेलकूद की गतिविधियां करने में और बच्चों का ऑनलाइन गेम्स से मोह भंग करने में सहायक होगा। इस तरह के खेलकूद हमारे दिमाग तथा शरीर को सक्रिय बनाये रखने तथा कई गंभीर बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करेंगे। इसलिए, हमें विचारपुर्ण भाषण के माध्यम से खेलकूद से जुड़े बच्चों को और अधिक प्रस्साहित करना चाहिए।

एससीबीए के सचिव के निलंबन के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।

हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसएशन (एससीबीए) के निलंबित सचिव अशोक अरोड़ा के मामले में अरोड़ा एवं सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन से पूछा है कि, क्या उन दोनों के बीच का विवाद सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति की मध्यस्थता में निपटाने निपटा दिया जाए।

इस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील अरविंद निगम ने कहा कि वह इस संबंध में एसोसिएशन से पूछ कर बताएंगे। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने उन्हें समय प्रदान करते हुए सुनवाई सात सितंबर के लिए स्थगित कर दिया। अशोक अरोड़ा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का कार्यकाल 10 दिसंबर को समाप्त होने वाला है।

इससे पहले इस मामले का निपटारा हो जाए तो बेहतर है। उन्होंने अपने-अपने निलंबन के आदेश पर रोक लगाने की भी मांग की थी। मालूम हो कि अरोड़ा ने एससीबीए से अपने सचिव पद के निलंबन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने इसके अलावा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे सहित कई वकीलों पर पांच करोड़ रुपए के मानहानि का मुकदमा भी किया है। इस मामले में 27 अगस्त के लिए सुनवाई लंबित है।

आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेगी नई शिक्षा नीति : कोहली

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक अंतर्दृष्टि : संदर्भ उच्च शिक्षा -तब और अब' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित

नई दिल्ली, (एसएनबी)। पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली ने कहा कि नई शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि नई नीति शिक्षा की जड़ता को खत्म कर छात्रों को अपनी जड़ों और बाकी विश्व से जोड़ने का काम करेगी। 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए ग्लोबल सिटीजन के निर्माण में भी यह नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट द्वारा 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक अंतर्दृष्टि : संदर्भ उच्च शिक्षा -तब और अब' विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार के समापन सत्र में श्री कोहली ने ये बात कही।

उच्च शिक्षा और स्वायत्तता के सवालों पर अपने व्याख्यान में फ्रंट के अध्यक्ष डॉ. एके भागी ने कहा कि प्रशासनिक और अकादमिक स्वायत्तता से किसी को परहेज नही होना चाहिए। जहां तक वित्तीय स्वायत्तता का प्रश्न है तो आज के संदर्भ में सरकार को सार्वजनिक शिक्षा की वित्तीय फंडिंग से हाथ खींचने से बचना चाहिए। डॉ. भागी ने कहा कि बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को लेकर शिक्षकों में अपनी जॉब सिक्योरिटी और सर्विस कंडीशन को लेकर कई तरह की आशंकाएं हैं। इन आशंकाओं का भी निदान करने की आवश्यकता है।

इंडियन यूनिवर्सिटी एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी पंकज मित्तल ने अपने व्याख्यान में कहा कि नई शिक्षा नीति विद्यार्थी केंद्रित है। यह विद्यार्थियों को अपनी पसंद के सब्जेक्ट पढ़ने की आजादी देती है। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल ने अपने वक्तव्य में कहा कि देश में पहली बार प्राथमिक शिक्षा को इस नीति के माध्यम से महत्वपूर्ण बनाया गया है। शिक्षा नीति में कौशल विकास और रोजगारपरकता पर जोर है। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन करते हुए एनडीटीएफ के डॉ. एनके कक्कड़ ने कहा नई शिक्षा नीति को लेकर व्यापक विचार-विमर्श किया गया है।

उपभोक्ताओं का भरोसा जीतने के लिए टाटा पॉवर सम्मानित

नई दिल्ली (एसएनबी)। कोरोना महामारी के समय बेहतर प्रबंधन के साथ व्यावसायिक निरंतरता बनाए रखने के लिए राजधानी की टाटा पॉवर कंपनी को सम्मानित किया गया।

कंपनी ने दावा किया कि कर्मियों ने दिन-रात काम करके उपभोक्ताओं का भरोसा जीता है। यह सम्मान भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से आयोजित वार्षिक नेशनल एचआर सर्कल कंपटीशन 2020 में दिया गया। टाटा कंपनी के मुताबिक इस कंपटीशन में देशभर की कंपनियों ने हिस्सा लिया था। वार्षिक कंपटीशन में जन समुदाय के लिए व्यावसायिक निरंतरता और कर्मचारी संबंध और कर्मचारी जुड़ाव के आधार पर कंपनी का चयन किया गया। तीन दिवसीय इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली कम्पनियों ने अपनी- अपनी कार्यशैली को रखा। सम्मान ग्रहण करते समय टाटा पावर के सीईओ गणेश श्रीनिवासन ने कहा कि किसी भी कंपनी का मानव संसाधन कार्यशैली उसकी रीढ़ होता है। इस मुश्किल दौर में भी उन्होंने मजबूती के साथ काम करके उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति की है।

बच्चों के विकास में माता-पिता की भूमिका अहम

बहुजन ब्रेन स्टॉर्म द्वारा वेबिनार का आयोजन किया गया

बच्चों के सर्वोत्तम विकास में परिवार व समाज की भूमिका पर चर्चा

नई दिल्ली(एसएनबी)। बहुजन सशक्तिकरण संघ की वेबिनार सीरिज बहुजन ब्रेन स्टॉर्म के द्वारा communication & Understanding Between parents and Children विषय पर रविवार को वेबिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. जय श्री ने किया। विषय पर चर्चा करने के लिए मुख्य वक्ता के रूप में सुश्री शशि रानी असिस्टेंट प्रोफेसर सोशल वर्क दिल्ली विश्वविद्यालय और डॉ. जय प्रकाश विभाग प्रमुख क्लीनिकल सायकोलॉजी रांची झारखंड शामिल हुए।

दोनों वक्ताओं ने बच्चों के सर्वोत्तम विकास के लिए परिवार और समाज के योगदान पर चर्चा की। शशि रानी ने कहा कि यदि बच्चों को सही माहौल दिया जाए उनसे मित्रवत व्यवहार किया जाए और उनकी बात सुनी जाए तो बच्चों का अच्छा विकास होता है। इससे पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते घनिष्ठ बनते है। शशि रानी के अनुसार बच्चों के जीवन में मां का रोल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। डॉ. जय प्रकाश ने श्रोताओं को बताया कि कैसे जाने अनजाने में माता-पिता अपने बच्चों की भावनाओं को आहत करते है। उन्होंने मुख्य रूप से पिता के रोल पर प्रकाश डाला।

डॉ. जय प्रकाश के अनुसार यदि पिता व्यसनों में घिरे हैं तो बच्चे का विकास सही नही होगा। परिवार में कलह रहने से बच्चों को सबसे अधिक नुकसान होता है, जो बाद में उसके व्यवहार में परिलक्षित होते हैं। घर के बड़ों का दायित्व है कि वे बच्चों को सही-गलत का अर्थ समझाएं। डॉ. जयश्री ने विषय का परिचय देते हुए बालकों के सर्वांगीण विकास के मुख्य घटकों के बारे में जानकारी दी। चर्चा में बच्चों के साथ होने वाले शारीरिक शोषण पर भी बात की गई।

मुख्य बिंदु

1. बच्चों के साथ एक ही समय में मित्र और गाइड जैसा व्यवहार करना प्रत्येक माता-पिता का दायित्व है।
2. परिवार को आगे बढ़ाने से पहले माता और पिता का शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होना बहुत जरूरी है।
3. बच्चों को पालना ओर उन्हें संस्कार देना सिर्फ मां का ही कार्य नही है,